



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-04.11.2024

विषय:- “आपरेेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना लोहता में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 10 माह का कारावास व 10,000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना लोहता, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-01/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त महताब पुत्र स्व0 मो0 सईद निवासी ग्राम धमरिया थाना लोहता जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक लोहता व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-04.11.2024 को माननीय न्यायालय ADJ-05 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त महताब उपरोक्त को अंतर्गत धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में 10 माह के कारावास से व 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।